

इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र (आई पी वी एम) पुरस्कार 2010

वर्ष 2010 के लिए इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्षमित्र पुरस्कारों हेतु व्यक्तियों तथा संस्थाओं, जिन्होंने वनीकरण और परती भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी एवं अनुकरणीय योगदान दिया है, से नामांकन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं । पुरस्कारों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :-

- (क) व्यक्तियों/संस्थाओं को चार श्रेणियों (प्रोफार्मा देखें) के अंतर्गत मेडल और प्रशस्ति पत्र सहित 2,50,000/-रु० (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र) के नकद पुरस्कार दिए जाएंगे ।
- (ख) पुनरावृत्ति, नवीनता/सृजनात्मकता, ग्रास रुट स्तर के संगठन स्थापित करने के लिए, मृदा और नमी संरक्षण कार्य और अन्य संबंधित कार्यकलाप, लक्षित समूहों जैसे समाज के महिलाओं/कमजोर वर्गों, अगम्य/दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों, व्यक्तिगत साहस से निर्धारित कर्तव्यों के अपेक्षित दायित्वों, जुटाए गए संसाधनों के संबंध में वास्तविक प्रभाव, शैक्षिक महत्व और जागरुकता उत्पन्न करने जैसे मानदण्डों के आधार पर वनीकरण एवं परती भूमि विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए नामांकनों पर विचार और उनका मूल्यांकन किया जाएगा ।
- (ग) सरकारी सेवकों, सरकार के तहत संस्थानों/संगठनों से नामांकन, संबंधित राज्य सरकारों/सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रायोजित होने चाहिए और विभाग/संस्थान/संगठन की मुख्य की टिप्पणियों सहित अग्रेषित किए जाएंगे और समग्र मूल्यांकन हेतु संबंधित राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजे जाने चाहिए ।

संयुक्त वन प्रबंध समितियों, गैर सरकारी संस्थानों/संगठनों/व्यक्तियों से प्राप्त नामांकन संबंधित राज्य सरकारों/सरकारी अभिकरणों/पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रायोजित किए जाने चाहिए और समग्र मूल्यांकन के लिए संबंधित राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भेजे जाने चाहिए ।

- (घ) जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान आई पी वी एम पुरस्कार मिले हैं, वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। आवेदनकर्ता किसी भी श्रेणियों में कुल मिलाकर अधिक से अधिक तीन आई पी वी एम पुरस्कार प्राप्त कर सकता है, जिसमें दो पुरस्कारों के बीच का न्यूनतम अंतराल तीन वर्ष होगा।
- (ङ) पूर्ववर्ती वर्ष की 31 दिसम्बर को समाप्त पिछले तीन वर्ष की अवधि के दौरान इस पुरस्कार हेतु नामिति द्वारा किए गए कार्यों पर विचार किया जाएगा।
- (च) बागवानी प्रजातियों की प्रमुखता वाले नामांकनों को पात्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि बागवानी प्रजातियों के लिए निश्चित वाणिज्यिक कारण होते हैं।
- (छ) निगमित क्षेत्र के मामले में, आवेदनकर्ता द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण या पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के तहत किए जाने वाले अनिवार्य रोपण की सीमा को पृथक रूप से दर्शाया जाए तथा इसे पुरस्कार के विचारार्थ रोपण क्षेत्र से बाहर रखा जाए।
- (ज) आवेदनकर्ता जिसमें निगमित क्षेत्र भी शामिल हैं, द्वारा नितांत रूप से वाणिज्यिक आधार पर किए गए वृक्षारोपण पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा। वृक्षारोपण कार्यकलापों में निगमित क्षेत्र सहित आवेदनकर्ता का सामाजिक दायित्व स्पष्ट रूप से परिलक्षित होना चाहिए।
- (झ) ऐसे आवेदनकर्ताओं को विशेष रूप से मान्यता दी जाएगी जिन्होंने फ्लाइंग एश वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया हो।
- (ञ) आवेदनों को अपात्र ठहराने वाली स्थितियां
- (क) उपर्युक्त पैरा-ग में यथा निर्धारित अनुसार अग्रेषित/प्रायोजित न किए गए नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

- (ख) निर्धारित प्रपत्र में न भरे गए/किसी भी तरह से अपूर्ण/अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा ।
- (ग) सूचना को छिपाने अथवा मिथ्या जानकारी देने वाले तथा भ्रामक सूचना देने वाले आवेदक, इस मंत्रालय के इन्दिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार अथवा कोई अन्य पुरस्कार दिए जाने हेतु अयोग्य ठहराए जाएंगे ।

2. नामांकन के लिए प्रपत्र, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है अथवा पर्यावरण भवन में मंत्रालय के स्वागत कक्ष से अथवा मंत्रालय के क्षेत्रीय केन्द्रों (क्षेत्रीय केन्द्रों के पते प्रपत्र के अंत में दिए गए हैं) से प्राप्त किया जा सकता है । विधिवत रूप से प्रायोजित नामांकन केवल **हार्ड कॉपी में** और विभाग/संस्थानों/संगठनों (सरकारी सेवकों, सरकार के अंतर्गत संस्थानों/संगठनों के मामले में) के अध्यक्ष की टिप्पणी सहित संबंधित राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को **12 अप्रैल, 2010** तक अथवा उससे पहले डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं । इसके बाद प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संपूर्ण मूल्यांकन सहित उप सचिव (एन.ए.ई.बी.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पाँचवा तल, कमरा सं. 552, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110510 को **12 मई, 2010** तक या उससे पहले अग्रेषित कर सकते हैं ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक की पता सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in पर उपलब्ध है ।

नामांकन के लिए प्रपत्र

1. वर्ष जिसके लिए नामांकन किया गया है : 2010
2. पुरस्कार की श्रेणी जिसके लिए आवेदन किया है : (श्रेणी पर चिन्ह लगाएं)
 - (I) व्यक्तिगत, सरकारी कर्मचारी सहित
 - (II) सरकार के अन्तर्गत संस्थान/संगठन
 - (III) संयुक्त वन प्रबंधन समितियां
 - (IV) गैर-सरकारी संस्थान/संगठन
3. नामित व्यक्ति का नाम (मोटे अक्षरों में) :
4. पूर्ण पता, दूरभाष नं. :
5. प्रायोजक का नाम व पता, फोन नं. सहित
(कॉलम 12 को भरना सुनिश्चित करें)
6. कार्यों का ब्यौरा :
 - 6.1 कार्य / परियोजना का स्थान
 - 6.2 किए गए कार्य की किस्म / सीमा (सौ शब्दों में वर्णन करें और निम्नलिखित तालिका को भी भरें)

भूमि का स्वामित्व जहां कार्य शुरू किया गया है	हैक्टेयर में क्षेत्र	क्षेत्र का विवरण : क्या फ्लाई एशक्षेत्र/कठिन क्षेत्र/परती भूमि/चट्टान/दलदली इत्यादि है
निजी भूमि		
स्वामित्व भूमि		
सामुदायिक भूमि		
राजस्व भूमि		

6.3 कार्य की मर्दे (प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत किए गए कार्यों का ब्यौरा दें)

6.3.1 पौधशालाएं व पौधरोपण

2010 के पुरस्कारों के लिए

पौधशालाएं व पौधरोपण	2007	2008	2009	कुल
स्थापित पौधशालाओं की संख्या इन पौधशालाओं में उगाई गई पौध की संख्या लोगों को वितरित किए गए पौधों की संख्या रोपित क्षेत्र का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) और लगाई गई पौध की संख्या				

6.3.2 पुनरावृत्ति (क्या अन्य स्थानों पर कार्य दोबारा सफलतापूर्वक किए गए)

6.3.3 मृदा और नमी संरक्षण कार्य और अन्य संबंधित गतिविधियां

6.3.4 वृक्षारोपण की विविध प्रजातियां (*प्रजातियों के नाम, वृक्षों की संख्या और प्रजातिवार रोपित क्षेत्र की सीमा का स्पष्ट उल्लेख करें*)

6.3.5 ग्रास - रुट स्तर के संगठनों की स्थापना (जैसे वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियां, स्वयं सहायता - प्राप्त समूह इत्यादि)

6.3.6 स्थानीय समुदायों की सहभागिता

6.3.7 विस्तार / जागरुकता - पैदा करना

6.3.8 परती भूमि का सुधार

6.4 जुटाए गए संसाधनों की सीमा, लागत प्रभावोत्पादकता और प्रभाव और साथ-ही-साथ जुटाए गए संसाधन

6.5 रोपे गए पौधों की उत्तरजीविता की प्रतिशतता

7. उपरोक्त कॉलम 5 में उल्लिखित कार्यों के लिए धनराशि के योगदान का ब्यौरा

2010 के पुरस्कारों के लिए

अवधि	निधियों के स्रोत				कुल राशि
	स्वतः योगदान की राशि रुपयों में	दान की राशि रुपयों में	सहायता अनुदान की राशि रुपयों में	बाह्य स्रोत की राशि रुपयों में	
2007					
2008					
2009					
कुल योग					

8. श्रेणी सहित उल्लेख करते हुए लाभार्थियों की संख्या अर्थात्

महिलाएं :
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति :
छोटे और सीमांत किसान :
भूमिविहीन श्रमिक :
अन्य :

9. उपरोक्त वर्णित किए गए कार्यों से संबंधित नामित व्यक्ति द्वारा प्रकाशन / आलेख / फोटो इत्यादि (सार संलग्न करें)

10. (क) विगत समय में ऐसी उपलब्धियों अथवा इसी प्रकार की अन्य उपलब्धियों के लिए प्राप्त किया गया कोई पुरस्कार ।

(ख) क्या कोई इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार किसी वर्ग में प्राप्त किया गया, यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें कि किस वर्ष में यह दिया गया था ।

11. अन्य उपलब्धियां (यदि कोई हों) तथा नामित व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य के अग्रणी/नवीन पहलू

12. सत्यापन :

सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त सभी विवरण मेरे ज्ञान के अनुसार सही हैं तथा उन्हें सत्य होने की स्थिति में स्पष्ट सूझबूझ से प्रस्तुत किया गया है ।

स्थान

दिनांक

(नामित व्यक्ति के पूरे नाम सहित हस्ताक्षर)

13. प्रायोजक अधिकारी की सिफारिशें (नामित व्यक्ति की अग्रणी तथा नवीन उपलब्धियों के संदर्भ में)

स्थान

दिनांक

(प्रायोजक अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम, पदनाम और पता

14. विभागाध्यक्ष/संस्थान/संगठन की टिप्पणियां (सरकारी कर्मचारियों, सरकार के अन्तर्गत संस्थानों/संगठनों के मामले में लागू)

स्थान

दिनांक

(विभाग/संस्थान/संगठन विभाग के अध्यक्ष के हस्ताक्षर)

नाम, पदनाम और पता

15. निम्नलिखित पक्षों अर्थात् रोपणकार्यों की वास्तविक उपलब्धियां, रोपणकार्यों की उत्तरजीवितता की प्रतिशतता, लोगों को शामिल किये जाने की सीमा और जागरुकता और शैक्षणिक महत्व के संबंध में विशिष्ट टिप्पणियों सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक की संपूर्ण टिप्पणियां ।

स्थान

दिनांक

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक के हस्ताक्षर)

नाम, पदनाम और पता

एन.ए.ई.बी., पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय केन्द्र

1. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जी के वी के कैम्पस (पोस्ट बैग नं.2477), बंगलौर -560065 (टेलीफोन नं. - 080-3334210) ।
2. डॉ. वाय एस परमार हॉर्टीकल्चर और फारेस्ट्री यूनिवर्सिटी, नौनी, सोलन - 173230 (हि.प्र.) (टेलीफोन नं. - 01792-252487) ।
3. कृषि वित्त निगम लिमिटेड, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बी- 9, सामुदायिक केन्द्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 (टेलीफोन नं.011-25550810) ।
4. भारतीय वन प्रबंध संस्थान (आईआईएफएम), नेहरु नगर, पी ओ बॉक्स 357, भोपाल - 462003, (टेलीफोन नं. 075-2565125) ।
5. कृषि वित्त निगम लिमिटेड, धनराज महल, पहला तल, सी एस एम मार्ग, मुंबई - 400001, (टेलीफोन नं. - 022-22028924) ।
6. नॉर्थ ईस्टर्न हिल विश्वविद्यालय, शिलांग - 793014, (टेलीफोन नं. - 0364-231626, 231919)।
7. जादवपुर विश्वविद्यालय, पी ओ बॉक्स - 17026, कोलकाता - 700032, (टेलीफोन नं. - 033 - 24146979) ।

राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

